

**पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय**  
**मांग संख्या 27**

**पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय**

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है;

मुख्य शीर्ष	बजट 2007-2008			संशोधित 2007-2008			बजट 2008-2009			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	1229.00	9.70	1238.70	1265.00	10.87	1275.87	1315.50	12.00	1327.50	
पूंजी	151.00	3.37	154.37	151.00	5.13	156.13	139.50	4.00	143.50	
जोड़	<b>1380.00</b>	<b>13.07</b>	<b>1393.07</b>	<b>1416.00</b>	<b>16.00</b>	<b>1432.00</b>	<b>1455.00</b>	<b>16.00</b>	<b>1471.00</b>	
1. सचिवालय सेवाएं										
1.1 सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052	...	3.50	3.50	...	3.70	3.70	...	4.10	4.10
1.2 पूर्वोत्तर परिषद का सचिवालय	2070	...	6.20	6.20	...	7.17	7.17	...	7.90	7.90
जोड़	...	...	9.70	9.70	...	10.87	10.87	...	12.00	12.00
2. पूर्वोत्तर परिषद की योजनाएं	2552	83.25	...	83.25	83.25	...	83.25	73.95	...	73.95
	3601	425.75	...	425.75	425.75	...	425.75	470.55	...	470.55
जोड़	509.00	...	509.00	509.00	...	509.00	544.50	...	544.50	
3. आर्थिक महत्व की सड़कों का निर्माण/सुधार	4552	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	15.00	...	15.00
4.1 पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम को आयोजना-भिन्न ऋण	6851	...	3.37	3.37	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
4.2 पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम को ऋण	6851	...	...	...	...	3.13	3.13	...	2.00	2.00
जोड़	...	...	3.37	3.37	...	5.13	5.13	...	4.00	4.00
5. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई) को ऋण	6885	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए संसाधनों के केंद्रीय संसाधन पूल से अनुदान	3601	600.00	...	600.00	636.00	...	636.00	650.00	...	650.00
7. बोडोलैण्ड क्षेत्रीय परिषद के लिए विशेष पैकेज	3601	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
8. पूर्वोत्तर राज्य सड़क परियोजना (एनईएसआरजी)	3601	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	1.00	...	1.00
9. पूर्वोत्तर में अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास	3056	1.49	...	1.49	1.49	...	1.49	...	...	...
10. विज्ञापन और प्रचार	2250	6.50	...	6.50	6.50	...	6.50	6.50	...	6.50
11. तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण	2250	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	12.50	...	12.50
12. अन्य कार्यक्रम	4552	86.00	...	86.00	86.00	...	86.00	64.50	...	64.50
13. एनईआर आजीविका परियोजना(एनईआरएलपी)	2552	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
<b>कुल जोड़</b>	<b>1380.00</b>	<b>13.07</b>	<b>1393.07</b>	<b>1416.00</b>	<b>16.00</b>	<b>1432.00</b>	<b>1455.00</b>	<b>16.00</b>	<b>1471.00</b>	
* बजट 2008-09 के दौरान यह योजना नौवहन विभाग (मांग सं. 86) के तहत शामिल थी।										
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
5. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई)	12885	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00
जोड़	...	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00
ग. आयोजना परिव्यय										
1. औद्योगिक वित्तीय संस्थायें	12885	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00
2. सड़कें एवं पुल	13054	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	1.00	...	1.00
3. अन्तर्देशीय जल परिवहन	13056	1.49	...	1.49	1.49	...	1.49	...	...	...
4. अन्य सामाजिक सेवाएं	22250	18.50	...	18.50	18.50	...	18.50	19.00	...	19.00
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
जोड़	80.00	...	...	80.00	80.00	...	80.00	81.00	...	81.00
राज्य योजनाएं										
1. पूर्वोत्तर क्षेत्र	43601	600.00	...	600.00	600.00	...	600.00	624.00	...	624.00
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए केंद्रीय संसाधन पूल	43601	600.00	...	600.00	636.00	...	636.00	650.00	...	650.00
3. बोडोलैण्ड क्षेत्रीय परिषद के लिए विशेष पैकेज	43601	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
जोड़	1300.00	...	...	1300.00	1336.00	...	1336.00	1374.00	...	1374.00
<b>जोड़</b>	<b>1380.00</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>1380.00</b>	<b>1416.00</b>	<b>...</b>	<b>1416.00</b>	<b>1455.00</b>	<b>...</b>	<b>1455.00</b>

- 1.1 यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए है।
- 1.2 यह प्रावधान पूर्वोत्तर परिषद के सचिवालय के व्यय के लिए है।
2. इन योजनाओं का उद्देश्य सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों का एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। इसके उद्देश्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पूर्वोत्तर क्षेत्र का संतुलित विकास शामिल है।
3. यह कार्य सीमा सड़क संगठन के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में किया जाता है जो निर्माण कार्य करता है तथा चालू सड़क स्कीमों को पूरा करने की ओर भी ध्यान केंद्रित करता है।
- 4.1 पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम की स्थापना मार्च, 1977 में की गई थी। उत्पादों के लिए विकासात्मक एवं संवर्धक निविष्टियां प्रदान करने, और डिजाइन विकास, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकीयों का दर्जा बढ़ाने और क्षेत्र के तैयार उत्पादों को बेचने की व्यवस्था करने के लिए स्थापना हुई। मंत्रालय, पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम को प्रदर्शनी में भागीदारी आदि जैसे संवर्धनात्मक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने वाली नकदी की हानियों को पूरा करने के लिए ऋण मुहैया कराता है।
- 4.2 पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (एनईआरएएमएसी), एक केंद्रीय पीएसयू की स्थापना कार्यकारी आदेश से हुई और कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत 31 मार्च 1982 को भारत सरकार के उद्यम के रूप में निगमित हुआ। निगम कृषि उत्पाद में खाद्य प्रसंस्करण और व्यापार में मुख्यतः प्रचलित रहा है। इसकी व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने के लिए निगम द्वारा इस प्रावधान का उपयोग कार्यकारी पूंजी के रूप में किया जाएगा।
5. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. (एन.ई.डी.एफ.आई.) का निगमन कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 9 अगस्त, 1995 को किया गया था, जिसका पंजीकृत कार्यालय गुवाहाटी में है। एन.ई.डी.एफ.आई. का उद्देश्य क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तथा वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य औद्योगिक, आधारभूत ढांचा तथा कृषि बागवानी परियोजनाओं की पहचान कर उनका वित्तपोषण तथा देख-रेख करते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसमें एनईडीएफआई को सुलभ ऋण प्रदान करने के लिए प्रावधान है।
6. नॉन-लेप्सेबल केन्द्रीय संसाधन पूल का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्र में विशिष्ट व्यवहार्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं/योजनाओं के लिए बजटीय सहायता के प्रवाह में वृद्धि कर पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम में आधारभूत ढांचे के तीव्र विकास को सुनिश्चित करना है। यह प्रावधान पूर्वोत्तर परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए है।
7. यह प्रावधान असम के बोडोलैण्ड क्षेत्रीय परिषद क्षेत्र में आधारभूत ढांचे की परियोजनाओं/योजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए है।
8. यह प्रावधान एशियन विकास बैंक से प्राप्त ऋण/अनुदान के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों के विकास के लिए है। यह योजना राज्य सरकारों के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी।
10. पूर्वोत्तर क्षेत्र के सहयोग से व्यापार मेलों, सेमिनारों के जरिए प्रदर्शन और इसे देश के अन्य भागों के साथ मुख्यधारा में लाने का कार्य क्षेत्र की अत्यधिक संभाव्यता के दोहन हेतु समर्थन एवं प्रचार योजना के जरिए किया जाता है।
11. पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकारियों एवं युवाओं का क्षमता निर्माण परियोजना तैयार करने, कार्यान्वयन एवं अच्छे अभिशासन के लिए पहली आवश्यकता है, जिसके लिए इस योजना के तहत श्रेष्ठ केन्द्रों के साथ दीर्घकालीन सहयोग के जरिए प्रयास किया जा रहा है।
12. यह प्रावधान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण लि. की मदद से पूर्वोत्तर क्षेत्र में मौजूदा विमानपत्तनों के सुधार के लिए, और पूर्वोत्तर राज्यों में अन्तःक्षेत्रीय सम्पर्क सुविधा बढ़ाने के लिए व्यय को पूरा करने के लिए है।
13. एनईआरएलपी पूर्वोत्तर क्षेत्र की ग्रामीण जनसंख्या की प्राकृतिक स्रोत धारणीयता और आय, रोजगार की आवश्यकता की पूर्ति के रूप में बड़ा सूत्रपात है और ग्यारहवीं योजना के दौरान चरणों में इसे कार्यान्वित किया जाएगा। परियोजना का वित्तपोषण विश्व बैंक के माध्यम से करने का प्रस्ताव है। यह प्रावधान परियोजना तैयारी फेसिलिटी के सम्बन्ध में सलाहकार सेवाएं, प्रशिक्षण और कार्यशालाएं, माल और प्रचालन लागतों हेतु है, एनईआरएलपी से सम्बन्धित विश्व बैंक द्वारा विस्तृत है।